



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1407]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 26, 2012/श्रावण 4, 1934

No. 1407]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 26, 2012/SHRAVANA 4, 1934

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2012

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 26th July, 2012

का.आ. 1706(अ).—शहरी विकास मंत्रालय के दिनांक 17 जुलाई, 2012 के असाधारण राजपत्र अधिसूचना सं. का.आ. 1603(अ) (के 12011/5/2007-डीडी I बी खण्ड 2) का संदर्भ लिया जाए।

2. उक्त अधिसूचना के "संशोधन" के अंतर्गत क्रम सं. (iv) की विषयवस्तु की लाइन 2 में "दिल्ली मास्टर प्लान-2021" शब्द को संशोधित करके "दिल्ली मास्टर प्लान-2001" पढ़ा जाए।

[फा. सं. के-12011/5/2007-डीडी I बी खण्ड 2]

सुनील कुमार, अवर सचिव

S.O. 1706(E).—Reference is invited to the Ministry of Urban Development's Extraordinary Gazette Notification No. S.O. 1603(E) dated 17th July, 2012 (K-12011/5/2007-DDIB Vol. 2).

2. The Word "MPD-2021" in line 3 of the text for S. No. (iv) under "Modification" of the said notification may be corrected to read as "MPD-2001".

[F. No. K-12011/5/2007-DDIB Vol. 2]

SUNIL KUMAR, Under Secy.